फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

फतेहलाल बनाम राज0 सरकार

मु0नं0— 35/2024

किस्म मुकदमा—इन्द्राज दुरूस्ती

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2025	पत्रावली में जवाब स्टेट प्राप्त होने पर पत्रावली तलब की गई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की सहखातेदारी की भूमि संवत 2044—47 पूर्व खसरा नम्बरान 1809 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा में वादी का फत्ता पुत्र छोटया दर्ज किया हुआ है उसके संवत 2052 से 2055 में वादी का गलत नाम पन्ना पुत्र छोटा दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड में वादी की सहमति के बिना दर्ज किये गये है। वादी का पहचानपत्र आदि में नाम फतेहलाल पुत्र छोटेलाल दर्ज जो सही है। परन्तु वादी की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 79 नया पुराना 45 के खसरा नम्बर 3033/3979, 3034, 3035 में हिस्सा 1/4 ग्राम टोरडा में वादी का पूर्व रिकॉर्ड के विपरीत गलती से पन्ना पुत्र छोटा दर्ज किया हुआ है जिसे दुरूस्त कर फतेहलाल पुत्र छोटेलाल जाति राणा दर्ज किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बहरावण्डा से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि खाता संख्या वर्तमान 79 में पन्ना पुत्र छोटा अशुद्ध है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार योग्य है एवं प्रार्थी अपने सही नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में करवाने का अधिकारी है। अतः प्रकरण स्वीकार कर विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम पन्ना पुत्र छोटा के स्थान पर फतेहलाल पुत्र छोटेलाल दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	